बोर्ड सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए पॉलिसी

I. उद्देश्य

इस तथ्य में दृढ़ विश्वास रखते हुए कि सीखना एक सतत प्रक्रिया है, अतः सभी स्तरों पर प्रशिक्षण एवं विकास को निगम में उच्च महत्वता दी जाती है। चूंकि संगठन पिरामिड में 'निदेशक मंडल' उच्चतम स्तर है, अतः उन्हें अद्यतित रखने के लिए प्रभावी प्रशिक्षण देना आवश्यक हो जाता है ताकि वे कंपनी को लगातार उचित मार्गदर्शन दे सकें। प्रभावी निगमित अभिशासन अपेक्षाओं के लिए भी बोर्ड सदस्यों को प्रशिक्षण देना महत्वपूर्ण होता है।

इस पॉलिसी का उद्देश्य बोर्ड स्तरीय अधिकारियों को निगम के व्यवसाय के जोखिम प्रोफाइल सहित कंपनी के व्यवसाय मॉडल में अपने ज्ञान को अद्यतित करने का अवसर प्रदान करना है तथा दायित्वों का निर्वहन प्रभावी रूप से सुनिश्चित करना है। पॉलिसी द्वारा निगमित अभिशासन, निदेशकों पर यथा लागू व्यावसायिक आचार-नीति और आचरण की मॉडल संहिता पर प्रशिक्षण देने का प्रयास किया जाएगा।

II. कवरेज

पॉलिसी में निगम के बोर्ड में फंक्शनल निदेशक, सरकारी निदेशक, नामिती निदेशक और स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे। डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार ही नए बोर्ड सदस्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।

III. प्रशिक्षण की अवधि

पॉलिसी का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि कम-से-कम 50 प्रतिशत निदेशकों को एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम एक सप्ताह की अवधि का प्रशिक्षण दिया जाए। यह कार्यक्रम की उपलब्धता, संबंधित व्यक्ति की अपेक्षा और साथ ही, प्रशिक्षण की अवधि के लिए निदेशक की उपलब्धता पर निर्भर कर सकता है।

IV. प्रशिक्षण कवरेज

प्रशिक्षण में किसी भी क्षेत्र को कवर किया जा सकता है जिसे निदेशक के लिए संबंधित या उपयोगी समझा जा रहा हो और जिसे वर्गीकृत किया जा सके, किन्तु वह निम्नलिखित तक सीमित न हो:

(i) **निगम के प्रचालन से संबंधित क्षेत्र**
निगम के व्यवसाय के जोखिम प्रोफाइल सहित निगम के व्यावसायिक प्रचालनों के क्षेत्र में भारत या विदेश में आयोजित किया जा रहा कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम/ सेमिनार/ सम्मेलन।

(ii) **नेतृत्व और सामान्य प्रबंधन कार्यक्रम**
नेतृत्व, मानव संसाधन विकास, संगठनात्मक प्रभावशीलता आदि के क्षेत्र में भारत या विदेश में आयोजित किया जा रहा कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम/ सेमिनार/ सम्मेलन।

(iii) **घरेलू/वैश्विक आर्थिक परिदृश्य से संबंधित क्षेत्र**
उद्योग/घरेलू/वैश्विक परिदृश्य में बदलावों/विकास से संबंधित भारत या विदेश में आयोजित किया जा रहा कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम/ सेमिनार/ सम्मेलन। इसमें विविध कानून/विधान और आर्थिक पर्यावरण से संबंधित प्रशिक्षण भी शामिल होगा, जहां निगम प्रचालन करता है।

(iv) **निगमित अभिशासन और आचार-नीति**
निगमित अभिशासन, बेहतर निगमित अभिशासन के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग, संबंधित निदेशकों पर यथा लागू व्यावसायिक आचार-नीति और आचरण की मॉडल संहिता से संबंधित भारत या विदेश में आयोजित किया जा रहा कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम/ सेमिनार/ सम्मेलन।

(v) **निगम पर लागू सामान्य विधि, अनुपालन प्रावधान और विविध दिशा-निर्देश**

(vi) **विशिष्ट प्रशिक्षण अपेक्षाएं**

चिन्हित की गई कोई विशिष्ट अपेक्षाओं की स्थिति में, विधिवत चिन्हित किए जाने के लिए निगम द्वारा विशिष्ट प्रशिक्षण, सेमिनार, सम्मेलन आदि के लिए संबंधित निदेशकों को नामित किया जा सकता है।

निगम द्वारा समकालीन परिप्रेक्ष्य के विविध विषयों पर जानकारी या प्रशिक्षण देने के लिए विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञों को भी नियुक्त किया जा सकता है।

VII. <u>हकदारी</u>

सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमीनारों, सम्मेलनों के लिए निगम द्वारा प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम शुल्क का वहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, संबंधित निदेशकों को विषय पर नियमावली के अनुसार आने एवं जाने के यात्रा किराए का भुगतान किया जाएगा। निगम की नियमावली के अनुसार, उनकी हकदारी के अनुसार उन्हें ड्यू या देय टीए/ डीए/ दैनिक मान या कोई अन्य भुगतान भी किया जाएगा।

VIII. <u>अनुमोदन की प्रक्रिया</u>

भारत में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों के लिए नामांकन करने हेतु अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी होंगे।

फंक्शनल और सरकारी निदेशकों के संबंध में विदेश में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों के लिए अनुमोदन विद्युत मंत्रालय से लिया जाएगा। नामित और स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में विदेश में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों के लिए अनुमोदन बोर्ड से लिया जाएगा, जिसमें संबंधित निदेशक शामिल नहीं होंगे।

XI. <u>वक्तव्य एवं संशोधन</u>

नियमावली में शामिल किसी भी प्रावधान के आशोधन या संशोधन का अधिकार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पास सुरक्षित है। इन नियमों के वक्तव्य या अनुप्रयोग संबंधी छूट या संदेह के किसी भी मामले को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को भेजा जाएगा, जिन का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

***